

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-5/5/2017

संख्या-12/वि0-6010/2015 सा0प्र0- 5401 / विभागीय अधिसूचना सं-4182,
दिनांक-06.04.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री प्रभात कुमार, बि0प्र0से0 (को0क्र0-1343/11,
गृह जिला-पटना), भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजगीर, नालंदा के स्थान पर मो0 खबीर, बि0प्र0से0
(को0क्र0-602/11, गृह जिला-सहरसा), अपर समाहर्ता, नालंदा को अपने कार्यों के अतिरिक्त¹
गेल इंडिया लिमिटेड में P & MP, Act 1962 के तहत अगले आदेश तक सक्षम प्राधिकार के रूप
में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

B
5/5/17
(भीम प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-12/वि0-6010/2015 सा0प्र0- 5401 / पटना-15, दिनांक-5/5/2017

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0टी0,
प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में
प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, (ले0 एव ह0), बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग)
विभाग, बिहार, पटना/जिल पदाधिकारी, पटना/नालंदा/औरंगाबाद/उप महाप्रबंधक, गेल इंडिया
लिमिटेड, B-35-36, Jubilee Tower, Sector-1, NOIDA-201301/मुख्य प्रबंधक (निर्माण) होटल
पाटलिपुत्रा अशोक कॉम्प्लेक्स, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन
विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/मो0 खबीर, बि0प्र0से0,
अपर समाहर्ता, नालंदा/श्री प्रभात कुमार, बि0प्र0से0, भूमि सुधार उप समाहर्ता, नालंदा को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

B
5/5/17
सरकार के संयुक्त सचिव।